राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक एफ. 15-1-2017-सात-शाखा-6-305.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित गांवों के लिए, उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाए :—

अनुसूची

		तहसील—त्योंदा, जि	ाला—विदिशा
क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक सहित गांवों के नाम		अधिकार-अभिलेख तैयार करने के
		•	े लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)		(3)
1.	मूल ग्राम	नवीन ग्राम	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला विदिशा
	भिलाय, प.ह.नं. 03	जमनिया, प.ह.नं. 03	
2.	मूल ग्राम	नवीन ग्राम	
•	कस्बा बागरोद, प.ह.नं. 32	चक बागरोद, प.ह.नं. 3	2
	,	तहसील—ग्यारसपुर,	जिला—विदिशा
क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक सहित गांवों के नाम		अधिकार-अभिलेख तैयार करने के
			लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)		(3)
1.	मूल ग्राम	नवीन ग्राम	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला विदिशा
	इंदरवास, प.ह.नं. 04	केवटा, प.ह.नं. 04	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक एफ. 15-1-2017-सात-शाखा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-1-2017-सात-शाखा-6, दिनांक 7 मार्च 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

भारती ओगरे, उपसचिव.

भारती ओगरे, उपसचिव.

Bhopal, the 7th March 2017

No. F. 15-01-2017-VII-Sec.-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE						
Tahsil—Tyonda, District—Vidisha						
Serial No.	Name of Village(s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised			
~		,	to prepare record of rights			
(1)	(2)	(3)			
1.	Original Village	New Village	Superintendent of Land Records (Regular),			
	Bhilay, P.C. No. 03	Jamanya, P.C. No. 03	District Vidisha.			
2.	Original Village	New Village				
Kasba Bagrodh, P.C. No.32 Chak Bagrodh, P.C. No. 32						
Tahsil—Gyaraspur, District—Vidisha						
Serial No.	Name of Village(s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised			
	_		to prepare record of rights			
(1)	(2))	(3)			
1.	Original Village	New Village	Superintendent of Land Records (Regular),			
	Indarwas, P.C. No. 04	Kevta, P.C. No. 04	District Vidisha.			
	By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,					
			BHARTI OGREY, Dy. Secy.			